बुंदेलखण्ड की सहरिया जनजाति में विकास एवं महिला सशक्तिकरण

डॉ. स्वतन्त्र कुमार रिछारिया

शोधा पत्र सार

बुंदेलखण्ड की जिला ललितपुर में निवास करने वाली सहरिया जनजाति एक आदिम जनजाति है। सहरिया समुदाय भारत के सबसे पिछड़े व निम्न मानव विकास स्तर वाले समुदायों में से एक है। आज सहरिया समुदाय सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक व अन्य कारणों के कारण ऋणग्रस्तता, भूमि अधिकार, बेरोजगारी, मद्यपान, बीमारी, मानव अधिकार हनन, गरीबी, बेरोजगारी आदि समस्याओं से ग्रस्त है। इस आदिम जनजाति में महिलाओं का जीवन और अधिक दयनीय व संकटग्रस्त है। आजादी के उपरान्त भारत में महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु अनेक योजनायें व कार्यक्रम प्रारम्भ किये गए, ताकि इनके द्वारा भारत में महिलाओं का विषेशकर पिछड़े समुदायों की महिलाओं के मानव विकास के स्तर में वृद्धि की जा सके। सभी विकासात्मक एवं सशक्तिकरण की योजनाओं के बाद भी प्रशासनिक किलता, जागरूकता के अभाव एवं सहरियाओं की एकांतिक आदिम जीवन शैली के कारण महिलाओं के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। आज सहरिया महिलाएं समाज की अन्य महिलाओं की तुलना में मानव विकास एवं सशक्तिकरण के पैमानें पर सबसे निम्न स्तर पर हैं। सहरिया महिलाएं गरीबी एवं अन्य कारणों के फलस्वरूप कुपोषण, मातृत्व-बाल मृत्यु, अशिक्षा, समाजिक एवं जेन्डर असमानता, निम्न स्वास्थ्य स्तर, शोषण, वेश्यावृत्ति एवं पलायन आदि समस्याओं का सामना कर रही हैं।

परिचय

भारत सांस्कृतिक एवं प्रजातीय विविधताओं का देश है भारत में स्थानीय प्रजातियों के साथ बाहरी लोगों का भी आगमन होता रहा, इसलियें भारत में अनेक प्रजातीय और सांस्कृतिक समूह देखनों को मिलते है। अंग्रेजों ने अपने राज्य विस्तार के क्रम में भारत के जंगली और दूरदराज के इलाकों में प्रवेश किया। जंगलों पहाड़ों एवं शहरों से दूर रहने वाले समूहों को अंग्रेजों ने ''ने-टिव या ट्राइब'' कहा। वर्तमान में इन समूहों को जनजाति या आदिवासी कहा जाता है। भारतीय प्राचीन ग्रन्थों में भी भील, कोल, निशाद आदि जनजातीय समूहों का वर्णन मिलता है।

संविधाान की धारा 340 के अर्न्तगत राष्ट्रपति द्वारा काका कालेलकर की अध्यक्षता में सन् 1953 में पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गयी। इस आयोग के अनुसार "ऐसे समूह जो पहाड़ों में निवास करते हैं या जहाँ कही वे मैंदानो रहते हैं, वहाँ भी वे अपना पृथक अस्तित्व बनाए हुए हैं। इनका मुख्य निवासियों की जीवन-धारा में सात्मीकरण नहीं हुआ हैं। इन समूहों का कोई भी धर्म हो सकता हैं। ऐसे समूहों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जाए क्योंकि आज भी यह समूह विशिष्ट जीवनशैली अपनाये हुए हैं।'' भारतीय संविधान